न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-351RAAJodhpur2022-212RTA225 Ugararam ors Vs Mangilal etc

1. उगराराम पुत्र मंगलाराम
2. गंगाराम पुत्र मंगलाराम
3. नरसींगाराम पुत्र मंगलाराम
4. पपुराम पुत्र मंगलाराम
5. रमजीराम पुत्र मंगलाराम
6. उगराराम पुत्र अर्जुनराम
7. बस्तुडी पत्नी अर्जुनराम
8. मांगीलाल पुत्र अर्जुनराम
9. शांती पुत्री अर्जुनराम
10. मोहनी पुत्री अर्जुनराम
11. पंखी पत्नी घीसाराम
12. हडमानराम पुत्र पांचाराम

जातियान मेघवाल, निवासीगण दाडमी, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. मांगीलाल पुत्र थावरराम
02. नाथी पुत्री थावरराम

जातियान जाट, निवासीगण दाडमी तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर।

03. राजस्थान सरकार ज़रिये तहसीलदार भोपालगढ़ जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 27 जून 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 843/2021 मांगीलाल व अन्य बनाम उगराराम इत्यादि

उपस्थित—
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता—अपीलाण्ट्स
श्री बी.एस. भंवरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक व दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता—रेस्पो. संख्या तीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 02 अप्रैल 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 843/2021 मांगीलाल व अन्य बनाम उगराराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27 जून 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 03 अगस्त 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 244 ग्राम दाड़मी तहसील भोपालगढ में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 247 में से मार्क ए.बी.सी.डी. 18 फुट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 जून 2022 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक व दो का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने अपनी में तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत को उसी रूप में स्वीकार कर लिया, जबकि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु रास्ते की कोई आवश्यकता ही नही थी। उसके खेत खसरा नं० 244 पर पहुंचने हेतु पहले से दो वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध है, जिनको रेस्पोडेन्ट्स ने जानबुझ कर बंद किया। अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नं0 247 एवं रेस्पोडेन्ट की भूमि खसरा न० 244 के बीच वर्षों पुराना मझबुत धोरा बना हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने नायब तहसीलदार की एक तरफा एवं गलत रिपोर्ट के आधार पर फैसला किया है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट खसरा न० 247 के खातेदारान को बिना सुचित किये बनाई गई है एवं मौके के हालात के विपरित तथ्य लिखे गये है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय नायब तहसीलदार मौके पर आये ही नहीं, बल्कि कार्यालय में बैठकर रेस्पोडेन्ट्स के कहे अनुसार रिपोर्ट तैयार कर पेश की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गई। अपीलार्थीगण द्वारा मौका फर्द पर लिखित में एतराज पेश किये गये, परन्तु उक्त एतराज को भी बिना कोई कारण दर्ज किये मनमाने ढंग से खारिज कर दिया। जिस स्थान पर अपीलार्थीगण की भूमि में से रास्ता मांगा गया, उस स्थान पर अपीलार्थीगणों की वर्षों पुरानी ढाणीया बनी हुई है एवं भूमि में नलकूप खुदा हुआ है जिससे काश्त की जा रही है। खसरा नं० 247 के ठीक पास में ही सड़क के चिपते खसरानं0 246 की भूमि स्थित है, जहां से निकटतम रास्ता उपलब्ध करवाया जा सकता था एवं उसी रास्ते से रेस्पोडेन्ट्स अपनी भूमि खसरा न० 244 पर आवागमन करते है। रेस्पोडेन्ट्स ने जानबुझ कर उस भूमि में से रास्ता न मांगकर अपीलार्थीगण की भूमि में से रास्ता मांगा है, जहां अपीलार्थीगण के मकान बने हुए है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट बिलकुल ही मनमानी है। इस रिपोर्ट में जानबुझ कर रास्ते की लम्बाई का उल्लेख नहीं किया गया एवं अपीलार्थीगण के रहवासीय मकान के बिलकुल चिपता हुआ रास्ता उपलब्ध कराने की रिपोर्ट पेश की गई है। उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस तरह का रास्ता उपलब्ध करवाने से दो स्थानो पर 90 डिग्री कोण से रास्ते में मोड जायेंगे जो किसी भी सुरत में उचित नही माना जा सकता है। सड़क से चिपते हुए स्थित खसरा नं0 246 की भूमि में से रेस्पोडेन्ट की भूमि खसरा नं0 244 में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने की सुरत में रास्ते की लम्बाई लगभग 100 फुट कम रहती है, परन्तु नायब तहसीलदार ने जानबुझ कर रास्ते की लम्बाई का कोई उल्लेख रिपोर्ट में नही दिया एवं उपखण्ड अधिकारी ने भी अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्तियो को मनमाने ढंग से अस्वीकार कर दिया। ऐसी स्थिति में एकपक्षीय एवं नियम विरूद्ध तैयार मौका रिपोर्ट पर पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया किं अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 जून 2022 को अपास्त फरमाया जावे एवं रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्कारी अधिनियम को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्से के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता लघुतम एवं निकटतम है जो मौके पर चलायमान है। अपीलांट्स द्वारा रास्ता न देने की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नियत से आवेदन प्रस्तुत होने के बाद मौके पर निर्माण कार्य चालू किया है जो सद्भाविक नहीं है। नायब तहसीलदार द्वारा नियमानुसार मौका फर्द तैयार की है तथा मौके पर अपीलाधीन रास्ता चालू पाया गया है। यह उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द में भी अपीलाधीन रास्ते को लघुतम एवं निकटतम बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का विधिसम्मत निस्तारण करते हुए उभय पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत रास्ते का आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के खातेदारी खसरा नंबर 244 में आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते को लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है। अदालत हाजा द्वारा तलब मौका रिपोर्ट दिनांक 13.03.2025 में भी अपीलाधीन रास्ते को लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है। अपीलांट्स द्वारा खसरा नंबर 246 में से सुझाये गये रास्ते से अपीलाधीन रास्ते को 05 फीट छोटा बताया गया है। उक्त मौका फर्द में अपीलाधीन रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद होना भी बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मौका फर्द अनुसार विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251–ए की मंशा के अनुरूप उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए लघुतम एवं निकटतम रास्ता प्रदान किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 843/2021 मांगीलाल व अन्य बनाम उगराराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27 जून 2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर